

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
12/02	136 Cr.P.C.	कांशील	दुसा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
विकास गालव	बनाम	सरकार	

वकील :- श्री D.C. Kushwah

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
01/2	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 5/4/21..... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i></p>	
5/4/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अत्यावश्यक दार इवडा से पत्रावली पेश नहीं। समझ-बूझ है वरते पत्रावली रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 11/5/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i></p>	
11/5/21	<p>कांशील सक्षम आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 14/6/21.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
14/6/21	<p>कांशील सक्षम आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 19/7/21.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
19/7/21	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 24/8/21.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	

8/21

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 शिविर खोपर पर पेश हुई। तहसीलदार दूबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार दूबडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मजमे काम में जानकारी करने पर पाया कि प्राणी को अपनी शोतेदारी भूमि में नाम राम भरोस के स्थान पर विकास गालव करवाना - जाहता है प्राणी के दस्तावेज सत्यापन एवं मजमे काम में जो-च करने पर प्राणी के सम्पूर्ण शोते में नाम राम भरोस पुत्र सत्यनारायण जाति गालव दर्ज रिकार्ड है जबकि दस्तावेजों में प्राणी कानामे विकास गालव है। आम जानकारी करने पर ~~प्राणी के~~ उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। सही नाम विकास गालव दर्ज कराया - जाहता है प्राणी को राम भरोस के स्थान पर विकास उर्फ राम भरोस करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः तहसीलदार दूबडा की अनुशंसा के आधार पर प्राणी का नाम राम भरोस के स्थान पर विकास उर्फ राम भरोस गालव करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार दूबडा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर जालगी सुनिश्चित करें। आदेश प्रथम से जारी है। पत्रावली में सल होकर जाविले

उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारा (राज०)

20/23

पत्रावली पुनः आम पेश हुई। प्राणी की ओर से इस आशय का प्राणी पत्र पारा 152 CPC पेश किया गया है। कि सीमान के द्वारा दिके 8/21 को ~~परिणत~~ परिणत आदेश में प्राणी का नाम ग्राम कोशल व केशोली की भूमि शोते संख्या ~~69~~ 2817 में विकास उर्फ राम भरोस के नाम आदेश पारित नहीं कर केवल ग्राम कोशल की भूमि में नाम शुद्ध करने के आदेश दिये गए हैं जबकि दोनों ग्रामों की भूमि में नाम राम भरोस के स्थान पर विकास।

उप
दी
3
क

उर्फ राममरोस के आदेश देने के जो सर्वक से एक ही ग्राम की भूमि के नाम शुद्ध किये जाने के आदेश जारी हुए हैं। श्रीमति पुनः प्राणी का संशोधित आदेश कांसल व केसाली काल का जारी करने की कृपा करें। इमने पत्रावली में

जारी आदेश पूर्व में दिनेक 8/10/21 का अलोकन किया जिसमें गया कि प्राणी का म. राजीव अधिनियम 1956 की धारा 196 के तहत नाम शुद्ध करण करते समय के वन ग्राम कांसल के खाता संख्या 69 में राममरोस पुरी सत्यनारायण को शुद्ध करते हुए विकास उर्फ राममरोस पुत्र सत्यनारायण का ही आदेश जारी किया हुआ सर्वक से भाक केसाली के खाता संख्या 28/17 में शुद्ध होने से शुरु गयी है

प्राणी द्वारा प्रस्तुत प्राणी पत्र धारा 152 CPC खीमार किया जाता है तथा संशोधित आदेश जारी किया जाकर तहसील दार इवडा को भेजा जावे। पत्रावली प्रिंशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इवडा (गारा)